बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

–:::आदेश :::–

का०आ० योoस्था07 / 1–01 / 2025 797 / योoविo, पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या–7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–03 / परीo–BTSC–(अधि0) 01–23 / 2024–16 दिनांक–01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0 01 / 2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं द्वितीय चरण के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थिति के आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर –07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम/ स्थायी पता	पंजीयन सं0	समेकित मेघा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि/ आवेदन की कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8
586	श्री अमित कुमार मंडल	श्री अर्जुन प्रसाद मंडल / ग्राम– मधुवन पो0– बाखरपुर थाना–बाखरपुर जिला–भागलपुर (बिहार) पिन–813209	BR001500 10073532	2385	01.01.1989	UR/ST	
643	श्री प्रभाकर कुमार	श्री जगजीवन यादव / ग्राम–मिलकी चक पो0–जानकी नगर थाना–नया राम नगर जिला–मुंगेर राज्य–बिहार पिन–811211	BR001500 10109008	2613	01.03.1977	UR/ BC	
683	श्री अमित कुमार भगत	श्री सकलदेव भगत / ग्राम–सरसा पो0–सेवा थाना–गिद्धौर जिला–जमुई पिन–811305	BR001500 10020587	2730	27.10.1997	EBC/ EBC	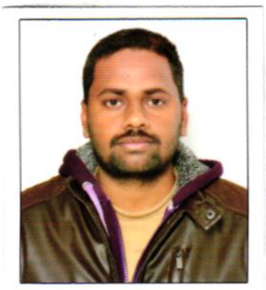

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम/ स्थायी पता	पंजीयन सं0	समेकित मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि/ आवेदन की कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1139	श्री अंशु कुमार राय	श्री भूषण राय/ ग्राम–राय टोला, रढ़िया पो0–रढ़िया थाना–गोविन्दगंज जिला–पूर्वी चम्पारण पिन–845458	BR001500 10001091	5728	24.01.1995	EWS/ EWS	
1151	सुश्री/ श्रीमती खुशबु कुमारी	श्री प्रसदीप कुमार ग्राम–भितरी बेगमपुर, शिवमंदिर नेहरू टोला पो0–बेगमपुर, थाना–चौक (पटना) जिला–पटना पिन–800009	BR001500 10044349	5847	17.12.1994	WBC/ BC	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखो के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5 वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हे योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के समक्ष प्राधिकार से निर्गत विरमण–पत्र स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा

ज्ञापांकः योoस्थाo7 / 1–01 / 2025 /योoविo, पटना, दिनांक फरवरी, 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः योoस्थाo7 / 1–01 / 2025 797 /योoविo, पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2025

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः योoस्थाo7 / 1–01 / 2025 797 /योoविo, पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2025

प्रतिलिपिः विभागीय आईoटीo मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव

नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संसोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक– 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0 01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

(रणजीत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07/1–01/2025 797 /यो0वि0, पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2025

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था07/1–01/2025 797 /यो0वि0, पटना, दिनांक 11 फरवरी, 2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के अपर सचिव